

पत्र सं-विधि-4(1)-परिपत्र पत्रावली भाग-2 / 2015-16 / 2127 / 1516054 / वाणिज्य कर
कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(विधि अनुभाग)
लखनऊ दिनांक 28 दिसम्बर ,2015

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर,
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

कठिपय व्यापारिक सगठनों द्वारा अवगत कराया गया है कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा दिनांक 14-10-2015 से 09.00 टन से अधिक खाद्य तेल के परिवहन पर फार्म-21 अनिवार्य कर दिया गया है, परन्तु इस सम्बंध में व्यापारियों में भौंन्तियाँ पैदा हो गयी हैं, जिससे कि माल लाने एवं ले जाने की समस्या उत्पन्न हो गयी है।

उपरोक्त व्यवस्था में यह स्पष्ट नहीं है कि :-

- 1- यदि दो अलग-अलग विक्रेता व्यापारियों द्वारा प्रत्येक के द्वारा 09 टन से कम परन्तु कुल 09 टन से अधिक माल का परिवहन एक ही ट्रक से अलग-अलग बिल संलग्न करते हुए किया जा रहा हो, तो क्या इस प्रकार के सम्ब्यवहार हेतु फार्म-21 अनिवार्य है ?
- 2- यदि एक ही विक्रेता व्यापारी द्वारा दो अलग-अलग क्रेता व्यापारियों को अथवा एक ही क्रेता व्यापारी को दो अलग-अलग बिलों से प्रत्येक 09 टन से कम परन्तु कुल 09 टन से अधिक माल की बिक्री की जाती है, तो क्या इस प्रकार के सम्ब्यवहार हेतु फार्म -21 अनिवार्य है ?

शासन की विज्ञप्ति संख्या- K.A.NI.-2-1422/XI-9(125)/09-U.P.Act-5-2008-Order-(145)-2015 लखनऊ दिनांक अक्टूबर 14, 2015 द्वारा निम्न प्रकार विज्ञापित किया गया :-

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं-5 सन् 2008) के अधीन धारा- 21 की उपधारा-(4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 से 09 टन से अधिक भार के खाद्य तेल के परिवहन के दौरान उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली के, 2008 के नियम-40 के अधीन विहित फार्म-21 परिवहन मेमों जारी किया जायेगा और साथ में रखा जायेगा।

धारा-21 (4) के अन्तर्गत निम्न प्राविधान है :-

" Every registered dealer who consigns or delivers any goods or class of goods specified in the rules made thereunder or such other goods or class of goods, as the State Government may, by notification in the Gazette, specify in this behalf, of such quantity, measure or value as may be notified, to a dealer whether by reason of sale or other wise, shall issue to the purchaser or consignee person of

goods, a transport-memo in prescribed manner and in the prescribed form obtained from the assessing authority having jurisdiction over the area in which principal place of business of such dealer is situated."

प्राविधान से स्पष्ट है कि किसी पंजीकृत व्यापारी द्वारा यथा निर्दिष्ट वस्तुओं की विज्ञापित मात्रा / परिमाण / मूल्य के पारेषण हेतु क्रेता/ पारेषिती को निर्दिष्ट प्रारूप में ट्रांसपोर्ट मेमो जारी किया जायेगा । अतः उक्त के आलोक में उल्लिखित भ्रान्तियों के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत स्पष्ट की जाती है।

1- दो विक्रेता व्यापारियों द्वारा अलग-अलग प्रत्येक 09 टन से कम माल (खाद्य तेल) एक वाहन में परिवहन किए जाने की दशा में फार्म-21 की अनिवार्यता नहीं है ।

2- एक ही विक्रेता व्यापारी द्वारा दो अलग-अलग व्यापरियों को अथवा एक ही क्रेता व्यापारी को दो अलग-अलग बिलों से प्रत्येक 09 टन से कम परन्तु कुल 09 टन से अधिक माल (खाद्य तेल) पर वाहन के पारेषित किए जाने पर फार्म-21 जारी किया जाना अपेक्षित है तथा क्रेता व्यापारी एक से अधिक होने पर प्रत्येक क्रेता के लिए अलग-अलग फार्म-21 जारी किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्तानुसार जारी फार्म-21 माल के परिवहन के दौरान साथ में रखे जायेंगे।

उपरोक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए कडाई के साथ अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।


(मुकेश कुमार मेश्रा)
कमिशनर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

पृष्ठ सं ०१० एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) माननीय अध्यक्ष, उप्रोक्त राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, उप्रोक्त शासन, लखनऊ ।
- (2) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ ।
- (3) निदेशक, राजग्य व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
- (4) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-२, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (5) अध्यक्षनिबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, उप्रोक्त ।
- (6) समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, उप्रोक्त ।
- (7) समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-१/ ग्रेड-२, वाणिज्य कर, उप्रोक्त मुख्यालय लखनऊ ।
- (8) एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-२ (विभागीय अधिकारी), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (9) समस्त ज्वाइट कमिशनर (कार्यपालक / विभागीय अधिकारी / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (10) समस्त डिप्टी कमिशनर / असिस्टेंट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी (कोन्सिलर / विभागीय संस्थान) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (11) अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक / उप निदेशक/ सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ ।
- (12) महालेखाकार, छठा तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ ।
- (13) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ ।
- (14) प्रबन्धक, इमेटिव, पिकप, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ ।
- (15) समस्त आन्तरिक सम्पर्काश दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (16) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू ऑफिस आफ द एजीआई 11, सरोजनी नायडू मार्ग,

इलाहाबाद।

- (17) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन,सेक्टर 10 नोयडा ।
- (18) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमियो/असिस्टेन्ट कमिशनर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद ।
- (19) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी 0कमियो/असिस्टेन्ट(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।
- (20) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10प्रतियों में ।
- (21) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियों ।
- (22) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर,मुख्यालय ।
- (23) अध्यक्ष, उ0प्रो) प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी,बांसमण्डी, लखनऊ ।
- (24) अधिशासी निदेशक,उद्योग बस्यु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ ।
- (25) श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष,समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) उ0प्रो ।
- (26) श्री श्याम बिंदा री मिश्र, उ0प्रो प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज वै: पीछे कानपुर ।
- (27) श्री बनवारी लाल कंठल, अध्यक्ष, उ0प्रो प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंठल कुंज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ ।
- (28) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलस़ाफा लखनऊ।
- (29) मर्नेन्ट चेम्बर आफ कार्मस ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
- (30) एसेशियेटेड चेम्बर आफ कार्मस एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ ।
- (31) पी एन डी चेम्बर आफ कार्मस एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
- (32) अवध चेम्बर आफ कार्मस एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ ।
- (33) आल इन्डिया मैन्युफेक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
- (34) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ ।
- (35) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य0) के माध्यम से ।
- (36) प्रदेश प्रमुख नम्बु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,गुलतानपुर रोड,रायबरेली ।
- (37) श्री नरेन्द्र कु0 गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद ।
- (38) श्री शिवकुमार अरोडा,एडवोकेट,अध्यक्ष, दि उ0प्रो टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली,मुजफ्फरनगर।
- (39) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 30प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
- (40) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।
- (41) प्रो0 श्रीमती रंजना ककड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
- (42) डा0 लेदी लाल साथी, प-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
- (43) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिंगरा वाराणसी ।
- (44) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1,कुंजगली,चौक,वाराणसी ।
- (45) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्ल्क ए सेक्टर 27 नोयडा ।
- (46) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0द्रुक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजियो),पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
- (47) श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी,इलाहाबाद ।
- (48) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहन्द इलाहाबाद ।
- (49) श्री शैलेश मिश्रा, महारूपी, लोहा व्यापार मंडल 30प्र0 प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर ।
- (50) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर ।
- (51) संयोजक,टैक्सेशन एकेडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड वै सरबाग रोड मेरठ
- (52) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।
- (53) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रीयल डिवीजन को0प0 स्टेट लियो 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (54) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ ।
- (55) श्री दिनेश अग्रेरा उ0प्रो वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
- (56) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्रो टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।

- (57) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी ०-बी-२९), विधायकनिवास, दारुल सफा, लखनऊ।
- (58) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी व्यापारी सभा, ३०प्र०, ६ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ।
- (59) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष ३०प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, ६/६-ए, ३० बी०एन०रोड, अमीनाबाद लखनऊ।
- (60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस २ गोमती नगर लखनऊ।
- (61) वैट लॉ जनरल १० नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड भेरठ।
- (62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी०) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीबला नोटरा सादाबाद गेट, हाथरस।
- (63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, ६७/११६ सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर।
- (64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष आर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (३०प्र०)
- (65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, ३०प्र० उद्योग व्यापार मण्डल-२२/२६ आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद।
- (66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली १०-६ गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ।
- (67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- १५/५ राजनगर, गाजियाबाद।
- (68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशन, आर०डी०सी०५१, राजनगर, गाजियाबाद।
- (69) श्री बी०एन०शुक्ला, अध्यक्ष, यू०पी० पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, १०३ बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ।
- (70) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, २४४/६५, यहियांगंज, लखनऊ।
- (71) श्री रवि सन्दूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-१९४, सेक्टर-१०, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू०पी०)
- (72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड।
- (73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू०पी० पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ ४३, सेक्टर-११, नोएडा।
- (74) अध्यक्ष, राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश)
- (75) अध्यक्ष, यू०पी० मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन (रजि०) १३३/२९६-ए, ट्रांसपोर्ट भवन, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर।
- (76) श्री राम किशोर अग्रवाल, सलाहकार, वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश।



(विवेक कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
मुख्यालय, उत्तर प्रदेश।